न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 08/2014

प्रार्थीगण

1.हंजादेवी पत्नि सोहनगिरी
2.रूगनाथ गिरी पुत्र सोहनगिरी
3.पानीदेवी पत्नि मोहनगिरी
4.भागुदेवी पत्नि चेतनगिरी
जाति स्वामी निवासी बामसीन
तहसील,सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण

1.बाबुगिरी पुत्र बुद्धगिरी
2.नाथुगिरी पुत्र बुद्धगिरी
3.नारायणीदेवी पत्नि अचलगिरी
4.दुर्गेशगिरी पुत्र भूरगिरी
जाति स्वामी निवासी बामसीन
तहसील,सिवाना
5.ग्राम पंचायत बामसीन
तहसील,सिवाना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.06.2011 जो ग्राम पंचायत बामसीन द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः– 1.श्री हुकमसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री सुनील के.मेराजा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से
3.अप्रार्थी संख्या 05 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 22.11.2017

1. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने सरपंच ग्राम पंचायत,बामसीन के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम बामसीन की आबादी भूमि में कब्जा सुदा रहवासीय प्लोट आया हुआ है,जिसका पट्टा विलेख प्राप्त करना चाहते है। इसलिये उनके नाम नियमानुसार शुल्क जमा कर पट्टा प्रदान कराया जाए। इस पर ग्राम पंचायत बामसीन ने पत्रावली संख्या 10 दिनांक 20.04.2011 कायम कर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम नियम 157(1)(ख) के तहत संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.05.2011 के अनुसरण में आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.06.2011 को जारी किया गया। प्रार्थीगण का यह कथन है कि जिस भूमि पर पट्टा जारी किया वह भूमि उनकी एंव अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त पैतृक है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगण ने इस पट्टा विलेख की भूमि को अपने संयुक्त पैतृक भूमि होने एंव नियम विरूद्ध जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,प्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत बामसीन से रेकर्ड तलब किया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील के.मेराजा हाजिर आये। जिन्हें जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उनके पूर्वज भूरगिरी के समय का एक पैतृक भूखण्ड ग्राम बामसीन की आबादी भूमि में आया हुआ है, जिस पर प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के पूर्व काबिज थे और पूर्वोजों के पश्चात् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण लगातार काबिज चले आ रहे है मगर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने प्रार्थीगण को धोखे में रखकर पुराना कब्जा बताकर ग्राम पंचायत से मिली भगत करके अपने नाम से पट्टा जारी करवाया है,जो नियमो के विपरित है। उन्होंने तर्क दिया कि मौका कमेटी द्वारा गलत निरीक्षण किया गया है,जो मौके पर गए ही नहीं है, न कोई सूचना पेश की गई है। बंद कमरे में बैठकर पट्टा जारी करने का खाका तैयार किया गया हैं। पट्टा जारी करने हेतु कोई आपतियां नोटिस चस्पा नहीं किया गया है। अन्त में उन्होने पट्टा जारी करने में नियमों की अवहेलना बताते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के नाम सयुंक्त रूप से पट्टा जारी करने का निवेदन किया।

5. इसके जवाब में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थीगण को जो भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, वह अप्रार्थीगण के पुराने कब्जे का है। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा आबादी भूमि में उनके कब्जा सुद प्लोट का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत बामसीन के समक्ष आवेदन पत्र मय नक्शा पेश किया था। जिस पर दिनांक 20.04.2011 को पत्रावली संख्या 10 कायम कर 3 पंचो की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की हैं, नोटिस जारी किया गया है। इसके पश्चात् आपतियां आमंत्रित की गई। यदि प्रार्थीगण की भूमि होती तो उसी समय उजरदारी पेश करते,परन्तु कोई उजरदारी पेश नहीं की। उजरदारी पेश नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा बाद मौका कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थीगण को नियम 157(1)(ख) के तहत 200/– शुल्क वसूल कर, पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थीगण का इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्वामित्व भी हासिल नहीं है। जिससे प्रार्थीगण निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने यह निगरानी पूर्णतया गलत,निराधार विधि विरूद्ध पेश की है। पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता नहीं बरती है। इसलिये प्रार्थीगण की निगरानी गलत तथ्यो पर आधारित होने से खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। ग्राम पंचायत बामसीन से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने निगरानी में यह कथन किया कि वादग्रस्त

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भूखण्ड उसके एंव अप्रार्थीगण के संयुक्त पैतृक का भूखण्ड है। मगर इस कथन के सम्बन्ध में,उसका प्रमाण भार प्रार्थीगण पर था। प्रार्थी को यह साबित करना था कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख की भूमि उसके उनकी पैतृक सम्पति है। मगर प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूखड के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थीगण के पक्ष मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत बामसीन के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर पत्रावली संख्या 10 कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत दिनांक 20.04.2011 को नोटिस जारी किया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पश्चात् दिनांक 20.05.2011 की कार्यवाही में नियम 157(1)(ख) पुराने गृहों का नियमितिकरण के तहत 200/–वसूल कर पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि ग्राम पंचायत बामसीन ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पक्ष में नियम 157(1)(ख) के तहत पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.06.2011 जारी किया है। इसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(शिवप्रसाद) एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर